

ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० :
28/24

तारीख मरजुआ :
16-06-2024

तारीख पेशी :
06-01-2025

श्री मुकेश चन्द पुत्र रेलू राम, ग्राम निवासी गोरली, डा0 मडावग, तहसील चौपाल, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती बारे।

यह प्रार्थना—पत्र प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु स्वयं न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर के ग्राम पंचायत मकडोग व आधार कार्ड नकल जमाबन्दी पटवार वृत्त रूसलाह संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत मकडोग में मुकेश चन्द पुत्र रेलू राम दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु पटवार वृत्त रूसलाह के जमाबन्दी रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मगत राम पुत्र रेलू राम दर्ज है, जोकि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती नकल जमाबन्दी पटवार वृत्त रूसलाह के रिकार्ड में मगत राम के बजाए मुकेश चन्द उर्फ मगत राम दर्ज करने बारा निवेदन किया है।

अतः आम जनता को इस मुश्त्री मुनादी तथा प्रकाशन राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त रूसलाह के जमाबन्दी रिकार्ड में मुकेश चन्द उर्फ मगत राम पुत्र रेलू राम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में दिनांक 06-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे पेश कर सकते हैं। किसी से कोई उजर व एतराज न आने की सूरत में प्रार्थी के सही नाम दर्ज करने बारा आदेश प्रदान कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 06-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(अर्जुन सिंह परमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० :
26/24

तारीख मरजुआ :
04-12-2024

तारीख पेशी :
06-01-2025

श्री अतुल पुत्र राम लाल, ग्राम निवासी नेरूवा, डा0 व तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती बारे।

यह प्रार्थना—पत्र प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु स्वयं न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर के ग्राम पंचायत रूसलाह शाक, आधार कार्ड व दसवीं प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपी संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत नेरूवा में अतुल पुत्र राम लाल दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु पटवार वृत्त नेरूवा के जमाबन्दी रिकार्ड में प्रार्थी का नाम विनोद पुत्र राम लाल दर्ज है, जोकि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती नकल जमाबन्दी पटवार वृत्त नेरूवा के रिकार्ड में विनोद के बजाए अतुल उर्फ विनोद दर्ज करने बारा निवेदन किया है।

अतः आम जनता को इस मुश्त्री मुनादी तथा प्रकाशन राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त नेरूवा के जमाबन्दी रिकार्ड में अतुल उर्फ विनोद पुत्र राम लाल दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में दिनांक 06—02—2025 को प्रातः 11.00 बजे पेश कर सकते हैं। किसी से कोई उजर व एतराज न आने की सूरत में प्रार्थी के सही नाम दर्ज करने बारा आदेश प्रदान कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 06—01—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(अर्जुन सिंह परमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 38 / 2024

तारीख दायर : 13—12—2024

श्री राकेश कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी गांव मैन बाजार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
(हि0 प्र0) वादी/प्रथम पक्ष

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

दरखास्त दुरुस्ती हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 37, 38 मकफूद उलखबरी इंतकाल दर्ज करने बाबत अराजी खाता खतौनी नं0 46/58 ता 59 वाका चक कस्बा बाजार द्वितीय, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी गांव मैन बाजार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) अराजी खाता खतौनी नं0 46/58 ता 59 वाका चक कस्बा बाजार द्वितीय में मकफूद उलखबरी के इंतकाल दर्ज करने बारे दरखास्त इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि उनका भाई रविन्द्र पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार, निवासी मैन बाजार दिनांक 18—07—1999 को रामपुर से लापता हुआ। प्रार्थी का भाई अविवाहित था व उन्हें लापता हुए लगभग 25 साल हो गए हैं। प्रार्थी वाका महाल कस्बा बाजार रामपुर द्वितीय के समस्त खातों का उल खबरी का इंतकाल रविन्द्र के उत्तराधिकारी के नाम दर्ज

करवाना चाहता है। आम जनता को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 04-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएंगे। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की तकसीम बारा किसी को किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

मुकद्दमा नं0 : 02 / 2024

तारीख दायर : 08-01-2025

श्री हरि सिंह पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी रामा, डा0 मशनू, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
वादी / प्रथम पक्ष

बनाम

1. हीरा सिंह पुत्र सोहन लाल, निवासी रामा, डा0 मशनू, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
2. श्रीमती लीला देवी पुत्री सोहन लाल, निवासी थाला, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला,
3. श्रीमती सोनू देवी पुत्री सोहन लाल, निवासी गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
4. श्रीमती रूकमणि विधवा सोहन लाल, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
5. श्री सोहन सिंह पुत्र बृज लाल, निवासी दारन, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
6. श्री हरदयाल सिंह पुत्र बृज लाल, निवासी दारन, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
7. श्रीमती अतर दासी पुत्री श्री फिना दास, निवासी दारन, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
8. श्री श्याम लाल पुत्र फिना दास, निवासी दोफदा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
9. श्री देवी दास पुत्र फिना दास, निवासी रामा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
10. श्रीमती दासी पुत्री श्री फिना दास, निवासी शालू, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0,
11. श्री हरिश कुमार पुत्र श्री कोकू राम, निवासी रामा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
12. श्री गुदरू राम उर्फ गुडू, निवासी रामा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
13. श्रीमती सुषमा देवी पुत्री श्री कोकू राम, निवासी रूणपू, तहसील सराहन, जिला शिमला,
14. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सन्त लाल, निवासी कुशवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0,
15. श्री रन्जीत सिंह पुत्र सन्त लाल, निवासी रामा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
16. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सन्त लाल, निवासी रामा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
17. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री सन्त लाल, निवासी रामा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
18. श्रीमती सीमा देवी पुत्री संत लाल, निवासी सेरी मझाली, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
19. कुमारी गीता देवी पुत्र संत लाल, निवासी रामा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
20. श्रीमती अतर दासी विधवा, निवासी रामा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
21. श्री धर्म दास पुत्र श्रीमती बेगमू, निवासी उच्ची, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
22. श्री भीम सेन पुत्र बेगमू, निवासी उच्ची, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
23. श्रीमती ज्ञानी देवी पुत्री बेगमू, निवासी पटीना, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला,
24. श्रीमती रासू देवी पुत्री श्रीमती बेगमू, निवासी डूगी रियोनी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
25. श्री दितू राम पुत्र अमर दासी, निवासी उच्ची, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
26. श्री केहर सिंह पुत्र श्री अमर दासी, निवासी दारन, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
27. श्रीमती बीरमा देवी पुत्री अमर दासी, निवासी दशमलाल, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0),
28. श्रीमती बीमला देवी पुत्री माइन, निवासी रूणपू, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0,
29. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री माइन, निवासी

पटीना, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0, 30. श्रीमती कमला देवी पुत्री माइन, निवासी बाजवा, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 31. श्रीमती मंगला देवी पुत्री माइन, निवासी बाजवा, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 32. श्री बलदेव पुत्र श्री अगर दास, निवासी दोफदा, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 33. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी धार, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 34. श्रीमती सीता देवी पत्नी पूर्ण सिंह, निवासी शाह, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 35. श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी रन्गील, निवासी नरेन, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0, 36. श्री बहादुर सिंह पुत्र देवकू, निवासी दशमाला, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 37. श्री हरि सिंह पुत्र देवकू, निवासी दशमाला, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 38. श्रीमती दासू पुत्री देवकू, निवासी जुवान, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, 39. श्रीमती गंगी पुत्री श्री देवकू, निवासी काशापाट, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, 40. श्री गोविन्द सिंह पुत्र हर देवी, निवासी पाट, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0, 41. श्रीमती निशा पुत्री हर देवी, निवासी काशापाट, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, 42. श्री हरि लाल पुत्र श्री खाजू राम, निवासी दशमाला, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 43. श्रीमती जगू देवी पुत्री खाजू राम, निवासी पटीना, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, 44. श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री खाजू राम, निवासी सराहन, तहसील सराहन, जिला शिमला, 45. श्रीमती श्याम दासी विधवा खाजू राम, निवासी दशमाला, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 46. श्री सोहन लाल पुत्र अमर दास, निवासी दशमाला, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रतिवादी।

दरखास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत अराजी खेवट नं0 1, खतौनी नं0 1 व 2, कित्ता 22, रकबा तादादी 03-92-99 है0 व खेवट नं0 54, खतौनी नं0 134 ता 140, कित्ता 34, रकबा तादादी 02-55-65 है0 वाका चक दारन, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री हरि सिंह पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी रामा, डा0 मशनू, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0) अराजी खेवट नं0 1, खतौनी नं0 1 व 2, कित्ता 22, रकबा तादादी 03-92-99 है0 व खेवट नं0 54, खतौनी नं0 134 ता 140, कित्ता 34, रकबा तादादी 02-55-65 है0 वाका चक दारन, तहसील रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0) अराजी की तकसीम दरखास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादीगणों नं0 05, 12, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 45 को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 04-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएँ। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा की इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 07-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशहैर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहैर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 08 / 2024

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

तारीख दायर : 04-12-2024

मुकद्दमा शीर्ष :

श्रीमती शीला देवी पुत्री स्व0 कुम्बी राम, निवासी गांव देओटन, डा0 नोगली, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— राजस्व माल कागजात में हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

श्रीमती शीला देवी पुत्री स्व0 कुम्बी राम, निवासी गांव देओटन, डा0 नोगली, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया का नाम राजस्व मालकागजात कलना खीला पुत्री कुम्बी राम दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। वादिया का वास्तविक मुताबिक पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं नकल परिवार रजिस्टर में शीला देवी पुत्री कुम्बी राम है। वादिया राजस्व कागजात मौजा कलना में खीला पुत्री कुम्बी राम के स्थान पर शीला देवी पुत्री कुम्बी राम दुरुस्त करना चाहती है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से पाया कि राजस्व मालकागजात जमाबन्दी वर्ष 2016-17 खाता खतौनी संख्या 142/284, 143/285, 144/286 ता 290 में वादिया का नाम खीला पुत्री कुम्बी राम दर्ज कागजात माल है, परन्तु बाद छानबीन मौका, मुताबिक कागजात व ब्यान वाशिन्दान दे के पाया कि उक्त अराजी सायला की पैतृक संपत्ति है। सायला का विवाह मौहाल मझेवली में हुआ है। आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं नकल परिवार रजिस्टर में वादिया का नाम शीला देवी पुत्री कुम्बी राम पाया गया। वादिया राजस्व कागजात मौजा कलना में खीला पुत्री कुम्बी राम के स्थान पर शीला देवी पुत्री कुम्बी राम दुरुस्त करना चाहती है। मौके पर ब्यानात लिए गए हैं जो संलग्न मिसल है। वादिया के नाम की दुरुस्ती की जाने बारे सिफारिश की जाती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादिया का नाम राजस्व कागजात मौजा कलना में खीला पुत्री कुम्बी के स्थान पर शीला देवी पुत्री कुम्बी राम दुरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह इशतहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 08-01-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 06/2024

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

तारीख दायर : 21-03-2023

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री हरी राम पुत्र श्री देवी राम, निवासी गांव व डा0 दोफदा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
वादी।

बनाम

विषय.— राजस्व माल कागजात में हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

श्री हरी राम पुत्र श्री देवी राम, निवासी गांव व डा0 दोफदा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम राजस्व मालकागजात उच्ची में हिरा लाल पुत्र देवी राम दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। वादी का वास्तविक नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं राशन कार्ड में हरी राम पुत्र देवी राम है। वादी राजस्व कागजात मौजा उच्ची में अपना नाम हिरा लाल पुत्र देवी राम के स्थान पर हरी राम पुत्र देवी राम दुरुस्त करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से पाया मौजा उच्ची में खाता 64, 65, 66 में हिरा लाल पुत्र सेवा राम पुत्र राईदास मालिक दर्ज कागजात माल है। बाद छानबीन माल कागजात मौका दारन से पाया कि वादी का नाम मौजा दारन में हरी राम पुत्र सेवा राम दर्ज है। मुताबिक ब्यान वाशिन्दगान दे, आधार कार्ड, शपथ पत्र वादी, राशन कार्ड, नकल परिवार में वादी का सही नाम हरी राम पुत्र देवी राम पुत्र राईदास है, परन्तु मौजा उच्ची के माल कागजात में हिरा लाल पुत्र सेवा राम गलत दर्ज है। वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा उच्ची में हिरा लाल पुत्र सेवा राम के स्थान पर हरी राम पुत्र देवी राम दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा उच्ची में हिरा लाल पुत्र सेवा राम के स्थान पर हरी लाल पुत्र देवी राम पुत्र राईदास दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति, सगे सम्बन्धी को कोई उजर/एतराज हो तो वह इशतहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 21-01-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 10/2024

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

तारीख दायर : 04-12-2024

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री लाल सिंह पुत्र श्री रघूदास, निवासी गांव शाह, डा0 धार गौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। वादी।

बनाम

विषय.— राजस्व माल कागजात में हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

श्री लाल सिंह पुत्र श्री रघूदास, निवासी गांव शाह, डा0 धार गौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम राजस्व मालकागजात शाह में मुरकी लाल पुत्र रघूदास दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। वादी का वास्तविक नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर एवं स्कूल प्रमाण-पत्र में लाल सिंह पुत्र रघूदास है। वादी राजस्व कागजात मौजा शाह में अपना नाम मुरकी लाल पुत्र रघूदास के स्थान पर लाल सिंह पुत्र रघूदास दुरुस्त करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों में पाया कि राजस्व कागजात जमाबन्दी वर्ष 2021-2024 खेवट नं0 26 व 28 (27 व 29 साबिक वर्ष 2016-17) में वादी का नाम मुरकी लाल पुत्र रघूदास दर्ज है। नकल परिवार रजिस्टर एवं स्कूल प्रमाण-पत्र में लाल सिंह पुत्र रघूदास है, वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा शाह में मुरकी लाल पुत्र रघूदास के स्थान पर लाल सिंह पुत्र रघूदास दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा शाह में मुरकी लाल पुत्र रघूदास के स्थान पर लाल सिंह पुत्र रघूदास दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति, सगे सम्बन्धी को कोई उजर/एतराज हो तो वह इशतहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 08-01-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 13/2025

तारीख दायर : 17-01-2025

अगली सुनवाई : 27-02-2025

श्री रमेश चन्द नेकटा पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव व डा0 ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री रमेश चन्द नेकटा पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव व डा0 ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में अपने पुत्र आदित्य नेकटा का नाम दुरुस्ती करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्की दिया है। प्रार्थी ने आवेदन किया कि उसके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत त्यावल-ज्यूरी द्वारा दिनांक

26-09-2024 को जारी जन्म प्रमाण-पत्र में चिन्मय नेकटा है, जबकि आधार कार्ड, स्कूल अभिलेख व ग्राम पंचायत त्यावल-ज्यूरी के परिवार रजिस्टर में नाम आदित्य नेकटा दर्ज है, जोकि गलत है तथा आवेदन किया है कि आवेदक के पुत्र का नाम आधार कार्ड, स्कूल अभिलेख व ग्राम पंचायत त्यावल-ज्यूरी के परिवार रजिस्टर में नाम आदित्य नेकटा के स्थान पर चिन्मय नेकटा दर्ज करने के आदेश दिए जायें।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आदित्य नेकटा के स्थान पर चिन्मय नेकटा नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 03/24

तारीख मरजुआ : 12-07-2024

श्री रनजीत चंदेल पुत्र श्री दीप राम चंदेल, निवासी ग्राम कालग, डा0 रौनी मतियाना, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।

इस आवेदन पत्र का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री रनजीत चंदेल पुत्र श्री दीप राम चंदेल, निवासी ग्राम कालग, डा0 रौनी मतियाना, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी निवासी ग्राम कालग, डा0 रौनी मतियाना, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) का स्थाई निवासी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम राहुल दर्ज है जोकि गलत है जबकि उसका वास्तविक नाम रनजीत चंदेल है जिसे दुरुस्त करने बारे आवेदन दिया है।

प्रार्थना-पत्र को मौका की छानबीन हेतु पटवारी हल्का मतियाना को भेजा गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि राजस्व अभिलेख मौजा कलिंडा में प्रार्थी का नाम राहुल दर्ज है जबकि उसका वास्तविक नाम रनजीत चंदेल है तथा प्रार्थना-पत्र के साथ शामिल ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर, शपथ पत्र, आधार कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के अवलोकन से प्रार्थी का नाम रनजीत चंदेल दर्ज है।

अतः इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 03-02-2025 को अपराहन 11.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।
